समक्ष: न्यायालयश्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग जबलपुर कैम्प जबलपुर

रा.प.क्र. अ-/2013 R-195-I/14

1- लाखन सिंह वल्द श्रीलाल ठाकुर उम्र58साल,पेशा शिक्षक प.ह.नं.92/279 निवासी पिपरिया जिला जबलपुर म0प्र0,

--पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मनीष वल्द नारायण प्रसाद पटैल ग्राम पिपरिया तह0 सिहोरा जिला जबलपुर म0प्र0,

---गैरपुनरीक्षण

श्री ...... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ......
11 OCT 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महो0 मझगवा तह. सिहोरा पंजी.प्र.क्र. 22/ए-12/2012-013 मे पारित आदेश दिनांक 26.2.13 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्योएवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:-

-: पुनरीक्षण के तथ्य:-

1- यहकि आवेदक गैरपुनरीक्षण ने एक आवेदन धारा 129 म.प्र.भू.रा.सं.का दिनांक 26.2.13 को अधि. न्यायालय के समक्ष भूमि मौजा पिपरिया स्थित ख.नं. 105/1 रकबा 0.44हे. भूमिस्वामी हक का सीमांकन कराये जानेबावत पेशकिया। विद्वान अधि0 न्यायालय ने प्रकरण मद ए-12 मे दर्ज करने आदेशित किया एवं सीमांकन किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत मझगवा को सीमांकन आदेश जारी हो आदेशित किया। साथ ही प्रकरण तारीख पेशी 21.3.13 हेतु नियत किया। साथ ही राजस्व निरीक्षक मझगवा को ग्राम पिपरिया पह.नं.92 रा.नि.मं. 105/1 रकबा 0.44हे0 का सीमांकन करने आदेश "नोटिस" जारी किया गया। जिससे व्यथित होकर जानकारी दिनांक से विहित परिसीमा के अंदर यह पुनरीक्षण बिना विलंब के पेश है:- प्रकरण मे रा.नि.मं. मझगवा द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन पेशकिया गया।

.2.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-195-एक/14 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u>**	